(वाद संख्या–3810/18)

27.05.2019

आवेदिका प्रेमशीला देवी स्वयं उपस्थित हैं।

आवेदिका को सुना।

प्रस्तुत मामला अरवल जिलान्तर्गत कलेर थाना के हाजत में, पुलिस अभिरक्षा के अंतर्गत, आवेदिका के पति, स्व0 बवन साव, के दिनांक 21.03.2018 के पूर्वाह्न सात बजे आत्महत्या/हत्या किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त धटना का आवेदिका तथा उसकी सौतन(बड़ी बहन) के संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक, अरवल को दिये गये लिखित आवेदन पर कलेर थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह, कनीय आरक्षी निरीक्षक (दारोगा), ओम प्रकाश व कलेर थाना के अज्ञात पुलिसकर्मियों के विरूद्व भा0द0वि0 धारा 302/34 के अंतर्गत कलेर थाना कांड सं0 10/18, दिनांक 21.03.2018 संस्थित किया गया। कांड के मृत्तक का दिनांक 21.03.2018 को ही आरा सदर अस्पताल के चिकित्सकों के त्रिसदस्यीय टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया जिसमें मृत्यु का कारण Hanging के कारण दम धुटना बताया गया है साथ ही साथ मृत्तक के शरीर पर चोटें भी पायी गई है।

आवेदिका के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा अपने प्रतिवेदन (पृ0 22–20/प0) में यह स्वीकार किया गया है कि मृत्तक बवन साव की मृत्यु कलेर थाना के हाजत में गमछी से फाँसी लगाकर हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि मृत्तक नरहत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोपों का आरोपित अभियुक्त रहा है तथा उसपर अरवल व औरंगाबाद जिला के भिन्न–भिन्न थानों में कुल 13 आपराधिक मामले लंबित थे तथा औरंगाबाद के एक न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से निर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के धाराओं 82/83 के निष्पादन में मृत्तक को दिनांक 20.03.2018 की संध्या 06.15 बजे ठाकुर विगहा से गिरफ्तार कर थाना लाकर हाजत में बंद किया गया था। पुलिस अधीक्षक, अरवल ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि पर्यवेक्षण के क्रम में प्रस्तुत कांड प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत नही हो पा रहा है तथा प्रस्तुत कांड में अन्वेषणोंपरान्त अंतिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व कांड के न्यायिक जांच प्रतिवेदन एवं मृतक के भेसरा के विधि–विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो अब तक अप्राप्त है। पुलिस अधीक्षक, अरवल ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका सहित मृत्तक के दोनो पत्नियों नें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत, अन्वेषण के क्रम में, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष यह बयान दिया है कि उन्होंने धटना को अपनी आँखो से नही देखा है, चूंकि कलेर थाना

के तत्कालिन थानाध्यक्ष, दरोगा व पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पति को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण उनलोगों द्वारा अपने पति की हत्या का मामला उनलोगों के विरूद्ध दर्ज किया गया है।

प्रसंगाधीन कांड वर्त्तमान में अन्वेषणाधीन है। अतः बिना इस तथ्य पर विचार किये कि मृत्तक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, प्रस्तुत मामलें मे यह एक स्वीकृत तथ्य है की मृत्तक बवन साव की पुलिस अभिरक्षा में कलेर थाना के हाजत में अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। मृत्तक को दो पत्नी, चार पुत्र (15–12 वर्ष के बीच) तथा चार पुत्रियाँ (25–16 वर्ष के बीच) है तथा पति की मृत्यु के उपरान्त उनका व उनके बच्चों का परवरिश करने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अंतरिम मुआवजा के रूप में मृत्तक बवन साव के दोनों पत्नियों को अलग–अलग दो–दो लाख रूपये (कुल चार लाख रूपैये) का भुगतान, बिहार सरकार की ओर से किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

पुलिस अधीक्षक, अरवल को यह निर्देश दिया जाता है कि मृत्तक बवन साव के दोनों पत्नियों, प्रेमशीला देवी तथा कर्मशीला देवी, को उनक उचित पहचान पर, अलग–अलग, दो–दो लाख रूपये (कुल चार लाख रूपैये) का नियमानुसार भुगतान, आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर किया जाना सुनिष्चित करें तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराये।

आज पारित आदेश की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेंतु उपलब्ध करा दी जाय ।

पुलिस अधीक्षक, अरवल को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कलेर थाना कांड सं0 10/18, दिनांक 21.03.2018 के अन्वेषण सें संबंधित अंतिम फलाफल से आयोग को ससमय अवगत कराया जाए साथ ही साथ मृत्तक की मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तथा न्यायिक दंडाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध करायी जाए।

संचिका दिनांक–31.08.2019 को उपस्थापित की जाय। उक्त तिथि को आवेदिका को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक